बिहार विधान सभा सचिवालय
आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय अंतर्गत **(i) प्रतिवेदक (ii) निजी सहायक एवं (iii) आशुलिपिक** के रिक्त पदों पर भर्त्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु **विज्ञापन संख्या–03/2024** का प्रकाशन बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा किया गया है जिसे सभा सचिवालय के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैः–

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	29.01.2024 को 11:00 बजे पूर्वा० से
2.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	15.02.2024
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	17.02.2024

नोटः–

1. उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन करने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे।
3. उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायगा, जिसे बिहार विधान सभा के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

संजय कुमार
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

विज्ञापन सं०—03/2024

बिहार विधान सभा सचिवालय के निम्न वर्णित पदों की रिक्तियों पर सीधी भर्त्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ***ऑनलाईन (Online)*** आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:—

1. **प्रतिवेदक — वेतन स्तर—9 (Rs. 53,100-1,67,800 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)**
2. **निजी सहायक — वेतन स्तर—7 (Rs. 44,900-1,42,400 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)**
3. **आशुलिपिक — वेतन स्तर—4 (Rs. 25,500-81,100 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)**

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय — 29.01.2024 (11:00 बजे पूर्वाह्न से)
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि — 15.02.2024
परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि — 17.02.2024

1. **उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निदेश विज्ञापन के साथ संलग्न है।**

2. **उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान सभा के वेबसाईट पर किया जायेगा।**

3. **अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:—**

(i) प्रतिवेदक :—

(क) अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:—

क्रम सं.	कोटि	पदों की कुल संख्या (बैकलॉग सहित)	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	बैकलॉग पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	00	00	00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00
3.	अनुसूचित जाति	04	00	03
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00	00
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	04	01	01
6.	पिछड़ा वर्ग	04	00	02
	योग:—	**13**	**01**	**06**

(ख)

1.	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अंध एवं निम्न दृष्टि दिव्यांग के लिए आरक्षित पद	01

(ii) निजी सहायक :—

(क) अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:—

क्रम सं.	कोटि	पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	02	00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00
3.	अनुसूचित जाति	02	00
4.	अनुसूचित जनजाति	00	00
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	00	00
6.	पिछड़ा वर्ग	00	00
	योग:—	**04**	**00**

(iii) आशुलिपिक :–

(क) अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरणः–

क्रम सं.	कोटि	पदों की कुल संख्या (बैकलॉग सहित)	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	बैकलॉग पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	00	00	00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00
3.	अनुसूचित जाति	03	00	02
4.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01	00	00
6.	पिछड़ा वर्ग	01	00	00
	योगः–	**05**	**00**	**02**

नोट–विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

4. **अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।**

5. **शैक्षणिक योग्यताः–** ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को पदवार निर्धारित निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए।

(i) प्रतिवेदक :– राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि। साथ ही हिन्दी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति अनिवार्य है तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 35–35 मिनट की गति होनी चाहिए।

(ii) निजी सहायक :– राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि। साथ ही हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति अनिवार्य है तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 30–30 मिनट की गति होनी चाहिए।

(iii) आशुलिपिक :– राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि। साथ ही हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति अनिवार्य है तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 30–30 मिनट की गति होनी चाहिए।

वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन–फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाये गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स में सही (✓) का चिन्ह लगा देने से वे उस पद के लिए भी अभ्यर्थी समझे जाएँगे। **अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग परीक्षा शुल्क देय होगा।**

6. **आरक्षणः–**

(i) आरक्षण की सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों के मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं०–673, दिनांक–08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिएः–

(a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

(b) स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिएः—

(a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय सभा सचिवालय द्वारा उसकी मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची–1(प्रपत्र–1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. <u>उम्र सीमाः</u>—

(i) **न्यूनतम आयुः**— दिनांक **01.08.2023** को न्यूनतम उम्र 21 (इक्कीस) वर्ष। परन्तु वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या–1/2019 के आलोक में प्रतिवेदक के पद हेतु आवेदन किया था, उनकी उम्र सीमा की गणना प्रतिवेदक के पद हेतु उक्त विज्ञापन में निर्धारित तिथि के आधार पर ही की जायेगी।

(ii) **अधिकतम आयुः**— अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)–40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

8. <u>**परीक्षा की पद्धतिः**</u>— उपर्युक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम **आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा** ली जायेगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से **हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जाँच परीक्षा** ली जायेगी।

(i) <u>प्रतिवेदकः</u>–

(क) आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षाः– आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति–मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 (सत्तर) मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य है।

परन्तु अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर भी इस शर्त्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जाँच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जाँच परीक्षाः– हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 35–35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की होगी।

(ii) <u>निजी सहायकः</u>–

(क) आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षाः– आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 100 शब्द प्रति–मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य है।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जाँच परीक्षाः– हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 30–30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की होगी।

(iii) <u>आशुलिपिकः</u>–

(क) आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षाः– आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 80 शब्द प्रति–मिनट के हिसाब से 400 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 मिनट का समय अनुमान्य है। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य है।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जाँच परीक्षाः– हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 30–30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की होगी।

उपर्युक्त तीनों कोटि के पदों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–10/परी–1049/77 का०–9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 10–10 मिनट की होगी एवं टंकण में भी हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य है।

वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आशुलिपि की परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है।

9. **<u>मेधा सूचीः</u>**– उपर्युक्त तीनों कोटि के पदों के लिए आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जाँच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी।

उपर्युक्त कोटियों के आरक्षणवार रिक्तियों को भरने के निमित्त आशुलिपि की परीक्षा के आधार पर पदवार अलग–अलग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी।

किसी एक पद पर दो अभ्यर्थियों में से एक के चयन की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पद के लिए निर्धारित वांछित योग्यता को आधार माना जाएगा। पदवार निर्धारित वांछित योग्यता की जानकारी बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2018 में संलग्न अनुसूची के अवलोकन से प्राप्त की जा सकती है।

10. **<u>परीक्षा शुल्कः</u>**– बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी

कोटि/वर्ग के महिला/पुरूष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य **600/–** (छः सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य **150/–** (एक सौ पचास) रूपये है। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर एक ही शुल्क देय होगा। अलग–अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

11. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देशः–

(1) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

नोट–वैसे सभी कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	29.01.2024 को 11:00 बजे पूर्वा० से
2.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	15.02.2024
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	17.02.2024

(2) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(3) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित करेंगे।

(4) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(5) अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया इमेज सुस्पष्ट है।

(6) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या सभा सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(7) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान, Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(8) ऑनलाईन आवेदन करने के लिए नीचे बॉक्स में वर्णित "Apply Online" पर क्लिक करें।

APPLY ONLINE

महत्वपूर्ण निर्देशः—

(1) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण—पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। सभा सचिवालय द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Bar Code एवं Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Bar Code एवं Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र, अंक—पत्र नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु सभा सचिवालय स्वतंत्र रहेगा।

(4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण—पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन करते समय उपलब्ध है।

(5) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ सभा सचिवालय के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

(6) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत निर्देश सभा सचिवालय के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(7) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(8) **किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा।**

संजय कुमार
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।